न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 28/2021

प्रार्थी :–

1. नशाराम पुत्र भाणाराम जाति भील, उम्र 30 वर्ष निवासी मण्डली तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मेमूराम पुत्र खेताराम
2. रामलाल पुत्र खेताराम
3. भेराराम पुत्र खेताराम
4. वालीदेवी पत्नि खेताराम
5. शिवलाल पुत्र बिजाराम
6. टीलोंदेवी पत्नि बिजाराम
7. मालाराम पुत्र मांगीलाल
8. जोगाराम पुत्र मांगीलाल
9. शेराराम पुत्र गोबरराम
   सभी जातियान भील निवासीयान मण्डली तहसील पचपदरा
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :– 1 श्री जेठूलाल कुमावत प्रार्थी वकील

आदेश दिनांक :– 24.5.22

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा न0 1089/481 रकबा 10 बीघा मौजा मण्डली में आया हुआ है विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 479 रकबा 35 बीघा 04 विस्वा गैर मुमकिन नाला खसरा स. 485 रकबा 54 बीघा, खसरा संख्या 478 रकबा 84 बीघा 01 विस्वा में से 30 फीट आम रास्ता गंगावास में प्राप्त करने हेतु संलग्न परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये गये आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। विप्रार्थीगण की और से सहमति पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रसतुत किया गया।

तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/ 1069 दिनांक 24.06.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मण्डली में आवेदक के नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1089/481 खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 484 रकबा 24–16 बीघा मे से 10 विस्वा एवं खसरा स. 485 रकबा 54 बीघा, मेसे 05 विस्वा 30 फीट संलग्न परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में बरंग हरा में मार्क ए से बी रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 29970/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 0–15 बीघा भूमि बनती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा मण्डली के खेत खसरा न0 1089/481 रकबा 10 बीघा भूमि के लिये आवागमन हेतु रास्ते हेतु विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 484 रकबा 24–16 बीघा मे से 10 विस्वा एवं खसरा स. 485 रकबा 54 बीघा, मेसे 05 विस्वा 30 फीट आम रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में बरंग हरा में मार्क ए से बी दकुल रकबा 0–10 बीघा व 0–05 बीघा कुल रकबा 0–15 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा मण्डली के खेत खसरा न0 1089/481 रकबा 10 बीघा भूमि के लिये आवागमन हेतु रास्ते हेतु मौजा मण्डली में विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 484 रकबा 24–16 बीघा मे से 10 विस्वा एवं खसरा स. 485 रकबा 54 बीघा, मेसे 05 विस्वा 30 फीट आम रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में बरंग हरा में मार्क ए से बी कुल रकबा 0–10 बीघा व 0–05 बीघा कुल रकबा 0–15 बीघा भूमि मे से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है। विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थी खसरा 1089/481 रकबा 10 भूमि बीघा में से आवागमन हेतु आम मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा [illegible] में विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 484 रकबा 24–16 बीघा मे से 10 विस्वा [illegible] खसरा 485 रकबा 54 बीघा, मेसे 05 विस्वा 30 फीट आम रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में बरंग हरा में मार्क ए से बी दकुल रकबा 0–10 बीघा व 0–05 बीघा कुल रकबा 0–15 बीघा भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की [illegible] है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 29970/ – प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 0–15 बीघा भूमि की राशि 22500/रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 45000/-- रूपये सम्बन्धित खातेदारान को 30,000 रूपये भुगतान करे एवं राजस्थान राज्य के खाते में 15,000 रूपये जमा कर भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

रसीद तहसीलदार कल्याणपुर के कार्यालय में जमा करावें, संबंधित खातेदार के द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अमानत खाते में राशि राजकोष में जमा की जाकर तहसीलदार कल्याणपुर नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 11.02.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता बरंग हरा मार्क ए से बी इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाए।

(रवीना सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.5.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:35:16 IST
Reason: SelfAttested